UPJP010010962026

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), जौनपुर।
विद्युत प्रकीर्ण वाद संख्या– 02/2026
रजिस्ट्रेशन नं०–19/2026
स्टेट–– बनाम——अज्ञात

मु०अ०सं०–78/2025
धारा–135 विद्युत अधिनियम
थाना–जलालपुर, जौनपुर।

दिनांक–14.03.2026

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। पुकार पर विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। उनके द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उक्त मुकदमें का अभियुक्त अज्ञात है, जिसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी विद्युत चोरी निरोधक, थाना जौनपुर को पत्र प्रेषित कर मुकदमा समाप्त करने की याचना की गयी। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी है, जोकि स्वीकार किये जाने योग्य है।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

चूंकि उक्त मुकदमा अज्ञात के रुप में दर्ज है, के आधार पर विद्युत विभाग के अधिकृत अधिकारी के निवेदन पर मामले में अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी है। अतः ऐसी स्थिति में जबकि विद्युत विभाग मुकदमें को संचालित नहीं करना चाहता है। विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के तहत अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त पाया जाता है।

आदेश

मु०अ०सं० 78/2025 में प्रस्तुत अन्तिम आख्या स्वीकार की जाती है। तद्नुसार विद्युत प्रकीर्ण वाद सं0 02/2026 स्टेट बनाम अज्ञात निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर किया जाए।

(पशुपति नाथ मिश्रा)
अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ / विशेष
न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट) जौनपुर।
जे०ओ०कोड-6446

Digitally signed by PASHUPATI NATH MISHRA
Date: 2026.03.14 13:15:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court